न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस

मु0 माल स0 295/2013

1–सुजानकोर पत्नी सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

– प्रार्थीया

बनाम

1–रणजीतसिंह पुत्र सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

2–रधुवीासिंह पुत्र सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

3–जसविन्द्रसिंह पुत्र सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

4–रणजीतकौर पुत्री सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

5–रतनकौर पुत्री सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

6–राजेन्द्रकौर पुत्री सन्त तारासिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–1–श्री सुभाषचन्द मिडढा एडवोकेट–प्रार्थीया

:–आदेश–: दिनांकः–30 जून,2015

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा अन्तर्गत 188–92ए का पेश किया हुआ है। कि चक 24 जेड के खाता स0 82/68 मु0न09 के कि0न021/2 से 25 की कुल 1–252 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया का कब्जा काश्त में। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे व रिकार्ड व मौका की स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जावे। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ प्रार्थीया के वकील को दिनांक 19–5–14 को एक पक्षीय सुन कर प्रथम द्रष्टया प्रकरण होने पर चक 24 जेड के खाता स0 82/68 मु0न09 के कि0न021/2 से 25 की कुल 1–252 हैक्टयर भूमि को रहन बैय नहीं करने व बाज व ममनू रहने तथा रिकार्ड एंव मौका की यथास्थित बनाई रखने के आदेश दिये गयें। वकील प्रार्थीया ने रणजीतसिंह का नाम डिलीट करने का निवेदन किया। अतः रणजीतसिंह का नाम वादपत्र–प्रार्थनापत्र दोनों में ही डिलीट किया जाता हैं इसका लालस्याही से अंकन किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

221/2013

दिनांक 25–6–15 को प्रार्थीया वकील की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया की बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस मं तर्क दिया कि प्रार्थी की प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। अप्रार्थीगण भूमि का रहन–बैय व अन्य तरीक से बेचान कर देता हैं तो उसे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः पूर्व में दिनांक 19–5–15 को जारी की गई अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

हमने वकील प्रार्थीया द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर भूमि पर कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन उनके पक्ष में हैं। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हैं तो उसे अपूरर्णीय क्षति भी कारित होती है। मूल वाद में जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य एंव सबूतों के आधार पर तैय किया जायेगा। अतः पूर्व में आदेश दिनांक से जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(केलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर